

विवरण वर्ष 2014-15

होमगार्ड्स विभाग में समूह "क", "ख", "ग", एवं "घ" के विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

क्र० सं०	संवर्ग/पद का नाम	कुल स्वीकृत संख्या	स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कर्मियों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यरत कर्मियों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	समूह "क"	21	18	3	-	5	
2	समूह "ख"	90	43	11	-	9	
3	समूह "ग"	1929	1644	345	32	443	
4	समूह "घ"	1403	1054	221	13	284	

होमगार्ड्स संगठन के स्वयंसेवक व अवैतनिक अधिकारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम-1963 के उपबन्धों के अधीन की जाती है। नियुक्ति के उपरान्त अवैतनिक सदस्यों व स्वयंसेवकों की कार्यकुशलता, इयूटी पर प्रशिक्षण उपस्थित, स्वास्थ्य, उनकी उपयोगिता के दृष्टिगत उनकी सहमति से अग्रतर तीन वर्ष की वृद्धि करते हुए अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्ति की जाती है। होमगार्ड्स के जवान/अवैतनिक सदस्य राज्य कर्मचारी नहीं होते हैं, अंतः निर्धारित इयूटी/प्रशिक्षण पर नियोजन इयूटी/प्रशिक्षण भत्ते जो समय-समय पर नियत किए जाते हैं, प्रदत्त होते हैं। इयूटी के उपरान्त अवशेष होमगार्ड्स के जवान निजी व्यवसाय करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को जनपदीय/अन्तर्जनपदीय इयूटी हेतु रूपया 225-00/ प्रतिदिन पारिश्रमिक/मानदेय प्रदान किया जाता है।